समानता के प्रकार

(i) प्राकृतिक समानता - इसका निहितार्थ है कि प्रकृति ने सभी मानवों को समान बनाया है। हिसाब के अनुसार, कोई वस्तु अन्य वस्तु के समान उतनी नहीं है जितना हम मानव एक दूसरे के जैसे तथा एक-दूसरे के समान है। स्टोइकों तथा रोम वालों ने 'प्रकृति का कानून' का तर्क दिया जो देश अथवा जाति के भेद के बिना सभी लोगों पर समान रूप में लागू होता है। आधुनिक काल में ग्रोशो तथा मार्क्स को मानव जाति की प्राकृतिक समानता के पक्ष का प्रमुख प्रतिपादक माना जा सकता है।

(ii) सामाजिक समानता - प्राकृतिक अथवा नैतिक समानता एक आदर्श विचार मात्र है, जबकि सामाजिक समानता एक वास्तविकता है। इसका यह निहितार्थ है कि सबके अधिकार तथा अवसर समान है ताकि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव विकास कर सके।

(iii) नागरिक समानता - इसके अन्तर्गत राज्य के कानूनों की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और राज्य के कानूनों द्वारा दण्ड या सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति-व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को नागरिकता के अवसर अर्थात् नागरिक अधिकार एवं स्वतन्त्रता समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। संक्षेपतः सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(iv) राजनीतिक समानता - इसका अर्थ है कि सार्वजनिक पदों तक सभी की पहुँच हो। धर्म, जाति, पेशा, रक्त, धन, लिंग, भाषा तथा अन्य ऐसे विचारों के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों के संबंधन अथवा सार्वजनिक पद धारण करने में समान अवसर मिलने चाहिए। अतः प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान करने, चुनाव लड़ने, सार्वजनिक निमुक्ति पाने, किसी सरकारी नीति अथवा गतिविधि का समर्थन अथवा विरोध करने, संवैधानिक उपायों से सत्कार बदलने आदि जैसे अधिकार मिलने चाहिए। कार्ल जे. फ्रेडरिक के शब्दों में, राजनीतिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक वैधता जिस मात्रा में समाहित होगी, उसी मात्रा में राजनीतिक समानता में वृद्धि होगी।

Avinash

Scanned with CamScanner

(v) आर्थिक समानता - इसका यह अर्थ है कि आर्थिक क्षमताएं कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में एकत्रित न हो। पुनः आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक एवं नागरिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। राष्ट्रीय धन का ऐसा वितरण हो कि लोगों का कोई वर्ग अन्यों को हानि पहुंचाते हुए अतिसमृद्ध न बन जाए। अतः आर्थिक लाभों के क्षेत्र में एक सुनिश्चित न्यूनतम वेतन होना चाहिए जो सब को उपलब्ध हो सके।

(vi) वैधानिक समानता -

(a) कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। (केवल राज्याध्यक्ष इसका अपवाद हो सकता है।)

(b) कानून द्वारा प्रत्येक नागरिक के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा की प्रत्याभूति की जाती है और यह सुविधा किसी भेदभाव के बिना सभी को उपलब्ध होती है।

(c) सभी को तत्काल एवं थोड़े मूल्य पर न्याय उपलब्ध होता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक या आर्थिक स्तर के भेदभाव के बिना देश की सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे प्राप्त कर सके।

(vii) अंतर्राष्ट्रीय समानता - इसका अर्थ है कि किसी देश की भौगोलिक, आर्थिक, जनसंख्या-संबंधी तथा सैनिक शक्ति आदि का विचार किए बिना सभी राष्ट्रों को समान मानना चाहिए।

(viii) लैंगिक समानता - पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति करना। ~~[illegible]~~ निजी एवं सार्वजनिक जीवन में विभेद की समाप्ति।

Avinash

Scanned with CamScanner